

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3231

12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू और अमृत मिशन के तहत निधि का आवंटन  
+3231. श्री बापी हलदर:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत जनवरी 2026 तक राज्यों को राज्यवार देय राशि (रुपये में) कितनी है; और

(ख) कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत जनवरी 2026 तक राज्यवार राज्यों को देय राशि (रुपये में) कितनी है?

उत्तर  
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। निर्माणाधीन आवासों को पूरा करने और एसएएनए-स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए पीएमएवाई-यू की योजना अवधि को भी 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में सस्ती कीमत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक देश भर में पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 13.67 लाख आवासों सहित कुल 125.15 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 116.57 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है; जिनमें से दिनांक 02.03.2026 तक देश भर में 97.30 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/ लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। योजनाओं के तहत कुल प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता 2.09 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 1.77 लाख करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत और जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): केंद्र सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। मिशन के प्रमुख क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन शामिल हैं। अमृत के तहत, 34,901 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। अमृत के तहत अब कोई निधियां जारी नहीं की जा रही है। इसके अलावा, अमृत 2.0 योजना 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में शुरू की गई है, ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में सक्षम बनाया जा सके।

\*\*\*\*\*

दिनांक 12-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 3231 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-1

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अब तक स्वीकृत और जारी केंद्रीय सहायता का राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपये में)	
			केंद्रीय सहायता	
			स्वीकृत	जारी की गई निधियां
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	29,811.98	24,045.06
2		बिहार	6,908.45	4,651.96
3		छत्तीसगढ़	5,287.73	4,464.22
4		गोवा	74.87	75.15
5		गुजरात	22,238.81	20,269.68
6		हरियाणा	2,432.36	1,739.48
7		हिमाचल प्रदेश	244.89	227.00
8		झारखंड	3,815.59	3,215.81
9		कर्नाटक	9,699.61	7,777.24
10		केरल	2,701.35	2,500.01
11		मध्य प्रदेश	16,605.09	15,878.19
12		महाराष्ट्र	24,996.31	20,241.97
13		ओडिशा	3,587.74	2,790.27
14		पंजाब	2,711.44	2,193.47
15		राजस्थान	6,503.47	5,595.87
16		तमिलनाडु	11,236.46	10,742.96
17		तेलंगाना	6,426.14	3,973.48
18		उत्तर प्रदेश	33,261.91	29,146.67
19		उत्तराखंड	1,219.67	1,113.11
20		पश्चिम बंगाल	10,081.05	8,921.18
<b>उप-कुल (राज्य)</b>			<b>1,99,844.91</b>	<b>1,69,562.81</b>
21	पूर्वांचल राज्य	अरुणाचल प्रदेश	318.38	212.09
22		असम	2,959.82	2,502.61
23		मणिपुर	867.95	582.37
24		मेघालय	124.38	76.70
25		मिजोरम	611.46	520.36

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपये में)		
		केंद्रीय सहायता		
		स्वीकृत	जारी की गई निधियां	
26	नागालैंड	521.87	443.36	
27	सिक्किम	5.88	7.09	
28	त्रिपुरा	1,474.16	1,363.73	
<b>उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)</b>		<b>6,883.90</b>	<b>5,708.32</b>	
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.108	3.724
30		चंडीगढ़	28.85	28.85
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	216.19	210.31
32		दिल्ली	701.32	701.32
33		जम्मू और कश्मीर	734.44	586.00
34		लद्दाख	33.63	26.74
35		पुडुचेरी	346.55	252.89
<b>उप-कुल (यूटी)</b>		<b>2,065.09</b>	<b>1,809.85</b>	
<b>कुल योग</b>		<b>2.09 लाख करोड़</b>	<b>1.77 लाख करोड़</b>	

दिनांक 12-03-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3231 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

### अमृत के तहत जारी निधियों की राज्य-वार स्थिति

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.81
2	आंध्र प्रदेश	1,049.88
3	अरुणाचल प्रदेश	116.69
4	असम	511.71
5	बिहार	1,146.15
6	चंडीगढ़	53.25
7	छत्तीसगढ़	969.12
8	दादरा और नगर हवेली	10.59
	दमन और दीव	18.03
9	दिल्ली	673.74
10	गोवा	62.75
11	गुजरात	1,966.96
12	हरियाणा	746.4
13	हिमाचल प्रदेश	269.06
14	जम्मू और कश्मीर	477.74
15	लद्दाख	39.2
16	झारखंड	551.69
17	कर्नाटक	2,258.85
18	केरल	1,153.08
19	लक्षद्वीप	2.25
20	मध्य प्रदेश	2,497.05
21	महाराष्ट्र	3,356.19
22	मणिपुर	162.28
23	मेघालय	71.02
24	मिजोरम	125.37
25	नागालैंड	107.87
26	ओडिशा	785.23
27	पुडुचेरी	63.75
28	पंजाब	1,190.77

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां
29	राजस्थान	1,511.23
30	सिक्किम	34.03
31	तमिलनाडु	4,626.24
32	तेलंगाना	831.52
33	त्रिपुरा	132.47
34	उत्तर प्रदेश	4,880.7
35	उत्तराखंड	531.91
36	पश्चिम बंगाल	1,905.39
	<b>कुल</b>	<b>34,900.97</b>